रजिस्टर्ड नं० एल० १८

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1971
कार्तिक 14, 1893 शक संवत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायिका विभाग

संख्या 5021/17-वि--106-71

लखनऊ, 5 नवम्बर, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 पर दिनांक 31 अक्तूबर, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1971 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1971

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1971)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये — उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में उपधारा (3) निकाल दी जाय। — उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960 की धारा 2 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में:—

(क) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय अर्थात्—

"(5) 'मुतवल्ली' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो या तो अलिखित रूप से, अथवा किसी ऐसे विलेख या करण के अन्तर्गत जिससे कोई वक्फ सृजित किया हो, या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई नायब मुतवल्ली, खादिम, मुजावर, सज्जादानशीन, अमीन या मुतवल्ली के कर्तव्यों का पालन करने के लिये किसी मुतवल्ली द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है और, इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के सिवाय, कोई ऐसा व्यक्ति या समिति भी है जो तत्समय इस रूप में किसी वक्फ सम्पत्ति का प्रबन्ध या प्रशासन कर रही हो," और

(ख) खंड (11) में, शब्द "वक्फ अलल-औलाद" और शब्द "तथा उपयोगवश वक्फ" के बीच में कोष्टक और शब्द "(उस सीमा तक जहां तक सम्पत्ति उपर्युक्त किसी ऐसे प्रयोजन के लिये समर्पित या अनुदत्त हो)" रख दिये जायें।

धारा 6 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) में, खंड (च) निकाल दिया जाय।

धारा 11 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (1) में, खंड (5) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायें।

धारा 12 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) में, खंड (4) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायें।

धारा 13 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द "ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, सदस्यों को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्तित न करे" के स्थान पर शब्द "जो विद्यमान न हो अथवा ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय सदस्यों को अपेक्षित संख्या में चुनकर भेजने में असमर्थ हो या असफल रहे" रख दिये जायें।

धारा 19 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (2) में,

(क) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(चच)—(1) वक्फ के उद्देश्यों के अनुकूल किसी वक्फ की अतिरिक्त आय का उपयोग किये जाने का निदेश देना;

(2) यह निदेशन देना कि ऐसे वक्फ, जिसके उद्देश्य किसी कारण से स्पष्ट न हों की आय का किस रीति से उपयोग किया जायगा;

(3) किसी ऐसे मामले में जहां किसी वक्फ का कोई उद्देश्य समाप्त हो जाय अथवा उस उद्देश्य की प्राप्ति संभव न रह जाय, यह निदेश देना कि वक्फ की उतनी आय जो पहले उस उद्देश्य के लिये प्रयोग की जा रही थी किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया जाय और जो मूल उद्देश्य के सदृश या यथासंभव उसके सदृश हो, प्रयोग में लाई जायगी:

प्रतिवन्ध यह है कि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस खंड के अधीन कोई निदेश न दिया जायगा;

(ख) खंड (ञ) में शब्द "बैंक" के बाद शब्द "या किसी डाकघर" रख दिये जायें तथा शब्द "और उसका उपयोग वक्फ के उद्देश्यों के लिए करना" निकाल दिये जायें।

धारा 26 का संशोधन

9—(1) मूल अधिनियम की धारा 26 को उक्त धारा की उपधारा (1) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में शब्द "बोर्ड के सचिव" के पश्चात् शब्द "या बोर्ड के ऐसे अधिकारी, जिसे सचिव सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें," रख दिये जायें और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—

"और कार्यवाही या अभिलेख के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार के लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी जिसमें और जहां तक मूल कार्यवाही या अभिलेख, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषय या व्यवहार को प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होता।"

(2) उक्त उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही जिसमें बोर्ड एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने को, अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने को, तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसी आज्ञा देना आवश्यक न समझे।"

धारा 27 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (2) में, शब्द "नियत किये जायें" के स्थान पर शब्द "समय-समय पर अवधारित किये जायें" रख दिये जायें।

धारा 48 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 48 में खंड (ख) में शब्द "तीन वर्ष से अनधिक किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायें।

नई धारा 49-क और 49-ख का बढ़ाया जाना।

12—मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं अर्थात् :—

"49-क—ऐसे विलेख या करण में, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वक्फ सृजित किया गया हो, दी गई किसी बात के होते हुए भी, वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति का—

वक्फ की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण

(1) विक्रय, दान, बन्धक या विनिमय, या

(2) कृषि भूमि की दशा में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए, या अकृष्य भूमि या भवन की दशा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये, पट्टे के रूप में,

अन्तरण बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना वैध न होगा।

धारा 49-क का उल्लंघन करके अंतरिम वक्फ सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति

49-ख—(1) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि धारा 30 के अधीन रखे गये वक्फ रजिस्टर में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर सम्पत्ति धारा 49-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना अन्तरित कर दी गई है, तो वह उस कलेक्टर को, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे दिये जाने का अधियाचन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधियाचन प्राप्त होने पर, कलेक्टर ऐसी आज्ञा देगा जिसमें सम्पत्ति पर काबिज व्यक्ति को आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्पत्ति बोर्ड को दे देने का निदेश होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा—

(क) उस व्यक्ति को, जिसके लिये वह अभिप्रेत हो, देकर, या प्रस्तुत करके, या उसे डाक द्वारा भेज कर; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले, तो उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान अथवा कारोबार के स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर, या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य अथवा सेवक को देकर, या प्रस्तुत करके, अथवा उसे सम्पत्ति के, जिसके सम्बंध में वह हो, किसी प्रमुख भाग पर चिपकवा कर ;

तामील की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह व्यक्ति, जिस पर आज्ञा तामील की जानी हो, अवयस्क हो, तो उसके अभिभावक पर या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष-सदस्य या सेवक पर की गई तामील उस अवयस्क पर तामील समझी जायगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, अपील कर सकता है।

(5) जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील का निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है और किसी ऐसी अपील को वापस लेकर या तो उसका निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के किसी अन्य न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है, और प्रत्येक दशा में न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

(6) यदि उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञा का पालन न किया गया हो और ऐसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत किये बिना अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गई हो, अथवा नियत समय के भीतर प्रस्तुत अपील, यदि कोई हो, खारिज कर दी गई हो, तो कलेक्टर उस सम्पत्ति का, जिसके संबंध में आज्ञा दी गई हो, कब्जा लेगा जिसके लिए वह ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो, और फिर कब्जा बोर्ड को दे देगा।

(7) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में कलेक्टर ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये जायें।"

धारा 55 का संशोधन।

13—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (1) में, खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(1-क) उसने, उचित कारण के बिना, लगातार दो वर्ष तक, धारा 34 के अधीन देय अंशदान न दिया हो ; या"

नयी धारा 57-क का बढ़ाया जाना...

14--मूल अधिनियम की धारा 57 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"57-क--(1) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि धारा 30 के अधीन रखे गये वक्फ के रजिस्टर में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर सम्पत्ति किसी व्यक्ति के अप्राधिकृत अध्यासन में है, तो वह उस कलेक्टर को, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे बोर्ड को दिये जाने का अधियाचन कर सकता है।

अप्राधिकृत अध्यासियों से वक्फ सम्पत्ति का फिर से कब्जा लेना

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अधियाचन के सम्बन्ध में धारा 49-ख की उपधारा (2), (3), (4), (5), (6) तथा (7) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन किसी अधियाचन के सम्बन्ध में लागू होते हों।"

धारा 58 का संशोधन

15--मूल अधिनियम की धारा 58 में, शब्द "अध्याय" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

धारा 63 का संशोधन।

16--मूल अधिनियम की धारा 63 में, उपधारा (5) में, शब्द "तो बोर्ड का इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली," से आरम्भ हो कर "जिनके कब्जे में वह सम्पत्ति, स्वत्व-विलेख या अन्य लेख्य हो," से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :--

"तो बोर्ड आज्ञा द्वारा मुतवल्ली को वक्फ सम्पत्ति और उससे सम्बद्ध स्वत्व-विलेखों या लेख्यों का कब्जा बोर्ड या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी अथवा वक्फ सम्पत्ति के मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या समिति को देने का निदेश दे सकता है, और बोर्ड की आज्ञा उस मुन्सिफ के न्यायालय, या यदि कोई मुन्सिफ न हो तो उस सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति स्थित हो या उक्त मुतवल्ली निवास करता हो, भेजी जायगी, और तदुपरान्त न्यायालय आज्ञा को उसी प्रकार निष्पादित करेगा मानों वह उसके द्वारा किसी वाद में दी गयी डिक्री हो।"

नयी धारा 69-क का बढ़ाया जाना

17--मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"69-क--बोर्ड द्वारा किसी सिविल न्यायालय में किसी ऐसे अनुतोष के लिए, जो धारा 49-ख या धारा 57-क के अधीन कार्यवाहियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी।"

कतिपय अनुतोष के लिए वाद आदि पर रोक।

धारा 85 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 85 में, उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पूर्व, निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"किसी ऐसे वक्फ पर अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, निम्नलिखित अधिनियमितियां भी, एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं :--

(1) बंगाल चैरिटेबिल एन्डाउमेन्ट्स पब्लिक बिल्डिंग्स ऐण्ड एसेम्बली रेगुलेशन, 1810

(2) रिलिजस एन्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, 1863

(3) चैरिटेबिल एन्डाउमेन्ट्स ऐक्ट, 1890

(4) चैरिटेबिल ऐण्ड रिलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1920।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

19--इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ायी गयी धारा 49-ख, धारा 57-क या धारा 69-क की किसी बात से--

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त धाराओं में उल्लिखित किसी अनुतोष के लिए किसी सिविल न्यायालय में बोर्ड द्वारा संस्थित किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई ऐसा वाद या ऐसी कार्यवाहियां जारी रखी जा सकती हैं मानों यह अधिनियम प्रवर्तित न हुआ हो :

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी न्यायालय द्वारा दिये गये किसी निर्णय या डिक्री की वैधता या निष्पादेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

No: 5021/XVII—V-106-71

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Sanshodhan) Adhiniyam, 1971 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 1971), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 31, 1971.

THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS (AMENDMENT) ACT, 1971

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

[U. P. ACT NO. 28 OF 1971]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 — U. P. Act no. XVI of 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1971. — Short title.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 (hereinafter referred to as the principal Act), sub-section (3) shall be *omitted*. — Amendment of section 2 of U. P. Act XVI of 1960.

3. In section 3 of the principal Act— — Amendment of section 3.

(*a*) *for* clause (5), the following clause shall be *substituted*, namely—

"(5) '*mutawalli*', means any person appointed either verbally or under any deed or instrument by which a *waqf*, has been created or by a competent authority to be the *mutawalli* of a *waqf*, and includes any *naib-mutawalli, khadim, majawar, sajjadanashin, amin* or other person appointed by a *mutawalli* to perform the duties of a *mutawalli* and save as otherwise provided in this Act, any person or Committee for the time being managing or administering any *waqf* property as such ;" ; and

(*b*) in clause (11), *between* the words "*waqfs- alal-aulad*" and the words "and *waqf* by user" the brackets and words "(to the extent to which the property is dedicated or granted for any such purpose as aforesaid)", shall be *inserted*.

4. In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), clause (*f*) shall be *omitted*. — Amendment of section 6.

5. In section 11 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (v), *for* the words "rupees ten thousand" the words "rupees three thousand" shall be *substituted*. — Amendment of section 11.

6. In section 12 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (iv), *for* the words "rupees ten thousand" the words, "rupees three thousand" shall be *substituted*. — Amendment of section 12.

7. In section 13 of the principal Act, *for* the words "fails to return the requisite number of members" the words "does not exist or is unable or fails to return the requisite number of members" shall be *substituted*. — Amendment of section 13.

8. In section 19 of the principal Act, in sub-section (2),— — Amendment of section 19.

(*a*) *after* clause (*f*) the following clause shall be *inserted* namely :—

"(*ff*) to direct—

(i) the utilisation of the surplus income of a *waqf* consistently with the objects of the *waqfs* ;

(ii) in what manner the income of a *waqf*, the objects of which are not evident from any instrument, shall be utilised ;

(iii) in any case where any object of a *waqf* has ceased to exist or has become incapable of achievement, that so much of the income of the *waqf* as was previously applied to that object shall be applied to any other object that may be specified, which shall be similar, or as nearly as practicable similar, to the original object :

Provided that no direction shall be given under this clause without giving the parties affected an opportunity of being heard;" ;

(*b*) In clause (*j*), *after* the word "bank" the words "or in a post office" shall be *inserted*, and the words "and to utilise it on the objects of the *waqf*" shall be *omitted*.

Amendment of section 26.

9. (1) Section 26 of the principal Act shall be *re-numbered* as sub-section (1)thereof; and in sub-section (1) as so re-numbered *after* the words "the Secretary of the Board" the words "or such other officer of the Board as the Secretary may by general or special order authorise in that behalf" shall be *inserted*, and at the end the following words shall be *inserted*, namely—

"and shall be received as *prima facie* evidence of the proceeding or record and be admitted as evidence of the matter or transaction therein recorded in every case where, and to the same extent, as, the original proceeding or record would, if produced, have been admissible to prove the matter or transaction".

(2) *After* the said sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely—

"(2) No member, officer or servant of the Board shall, in any legal proceeding to which the Board is not a party, be required to produce any register or document, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matter or transaction recorded therein, unless the court, for reasons to be recorded, considers it necessary to make such an order."

Amendment of section 27.

10. In section 27 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "as may be prescribed" the words "as may from time to time be determined" shall be *substituted*.

Amendment of section 48.

11. In section 48 of the principal Act, in clause (*b*), *for* the words "a specified period not exceeding three years" the words,"such period not exceeding five years as may be specified in the notification" shall be *substituted*.

Insertion of new sections 49-A and 49-B.

12. *After* section 49 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely —

Transfer of immovable property of *waqf*.

"49-A. Notwithstanding anything contained in the deed or instrument, if any, by which the *waqf* has been created, no transfer by way of—

(i) sale, gift, mortgage or exchange ; or

(ii) lease for a period exceeding three years in the case of agricultural land, or for a period exceeding one year in the case of non-agricultural land or building—

of any immovable property of the *waqf* shall be valid without the previous sanction of the Board.

Recovery of *waqf* property transferred in contravention of section 49-A.

49-B. (1) If the Board is satisfied after making an inquiry in such manner as may be prescribed that any immovable property entered as property of a *waqf* in the register of *waqfs* maintained under section 30, has been transferred without the previous sanction of the Board in contravention of the provisions of section 49-A, it may send a requisition to the Collector within whose jurisdiction the property is situate to obtain and deliver possession of the property to it.

(2) On receipt of a requisition under sub-section (1), the Collector shall pass an order directing the person in possession of the property to deliver the property to the Board within a period of thirty days from the date of the service of the order.

(3) Every order passed under sub-section (2) shall be served—

(*a*) by giving or tendering it or by sending it by post to the person for whom it is intended ; or

(*b*) if such person cannot be found, by affixing it on some conspicuous part of his last known place of abode or business, or by giving or tendering it to some adult male member or servant of his family or by causing it to be affixed on some conspicuous part of the property to which it relates ;

Provided that where the person on whom the order is to be served is a minor, service upon his guardian or upon any adult member or servant of his family shall be deemed to be service upon the minor.

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) may, within a period of thirty days from the date of the service of the order, prefer an appeal to the Court of the District Judge within whose jurisdiction the property is situate.

(5) The District Judge may either dispose of the appeal himself or may transfer it to the Court of any Additional District Judge or Civil Judge under his administrative control and may also withdraw any such appeal and either dispose of the same or transfer it to any other Court of Additional District Judge or Civil Judge under his administrative control, and in every case the decision of the court shall be final.

(6) Where an order passed under sub-section (2) has not been complied with and the time for appealing against such order has expired without any appeal having been preferred or the appeal, if any, preferred within that time has been dismissed, the Collector shall obtain possession of the property in respect of which the order has been made, using such force as may be necessary, for the purpose, and then deliver it to the Board.

(7) In exercising his functions under this section the Collector shall be guided by such rules as may be made in that behalf by the State Government."

Amendment of section 55.

13. In section 55 of the principal Act, in sub-section (1), *after* clause (i) the following clause shall be *inserted*, namely—

"(i-*a*) has failed to pay, without reasonable excuse, for two consecutive years, the contribution payable by him under section 34 ; or".

Insertion of new secti-on 57A.

14. *After* section 57 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely—

"57-A. (1) If the Board is satisfied after making an inquiry in such manner as may be prescribed that any person is in unauthorised occupation of any immovable property entered as property of a *waqf* in the register of *waqfs* maintained under section 30 it may send a requisition to the Collector within whose jurisdiction the property is situate to obtain and deliver possession of the property to it.

Recovery of possession of *waqf* property from unauthorised occupants.

(2) The provisions of sub-sections (2), (3), (4), (5), (6) and (7), of section 49-B shall *mutatis mutandis* apply in relation to a requisition under sub-section (1) as they apply in relation to a requisition under sub-section (1) of that section."

Amendment of section 58.

15. In section 58 of the principal Act, *for* the words "Chapter" the word "Act" shall be *substituted*.

Amendment of section 63.

16. In section 63 of the principal Act, in sub-section (5), *for* the words beginning with "the tribunal" and ending with "such property, title deeds or other documents" the following shall be *substituted*, namely :—

"the Board may by order direct the *mutawalli* to deliver possession of the *waqf* property and the title deed or the documents relating thereto to the Board or any officer thereof duly authorised in that behalf or to any person or committee appointed to act as the *mutawalli* of the *waqf* property, and the order of the Board shall be forwarded to the Court of Munsif, or where there is no Munsif, the Court of Civil Judge, within whose territorial jurisdiction the said property is situate or the said *mutawalli* resides, and the court shall thereupon execute the order as if it were a decree made by itself in a suit."

Insertion of new section 69-A.

17. *After* section 69 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely :—

"69-A. No suit or other proceeding shall be instituted by the Board in a civil court for any relief which may be obtained by proceedings under section 49-B or section 57-A."

Bar of suit etc. for certain reliefs.

Amendment of section 85.

18. In section 85 of the principal Act, in sub-section (2), before the proviso thereto, the following paragraph shall be *inserted*, namely—

"The following enactments are also hereby repealed in their application to any *waqf* to which this Act applies—

XIX of 1810. (1) the Bengal Charitable Endowments, Public Buildings and Escheats Regulation, 1810 ;

XX of 1863. (2) the Religious Endowments Act, 1863.

VI of 1890. (3) the Charitable Endowments Act, 1890.

XIV of 1920. (4) the Charitable and Religious Trusts Act, 1920."

Transitory provision.

19. Nothing in section 49-B, section 57-A or section 69-A *inserted* in the principal Act by this Act—

(*a*) shall affect any suit or other proceedings instituted by the Board in a civil court for any relief mentioned in the said sections before the commencement of this Act, and any such suit or proceedings may be continued as if this Act had not come into force ; or

(*b*) affect the validity or executability of any judgment or decree passed by any court before the commencement of this Act.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
विशेष सचिव।

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० 5 जनरल (जूडी०)-1972—150 (मे०)।